भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1125

शुक्रवार, 28 जून, 2019 को उत्तर देने के लिए

किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना

1125 श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः

श्री रविन्द्र श्यामनारायण शुक्ला उर्फ रवि किशनः

श्री कुलदीप राय शर्मा,

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः

डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः

डॉ. सुभाष रामराव भामरेः

क्या विज्ञाान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विभिन्न योजनाओं के तहत छात्रवृत्तियों को बढ़ाकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों में लड़कियों सहित छात्रों को प्रोत्साहित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना (केवीपीवाई) के अंतर्गत छात्रवृत्ति योजना को कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान केवीपीवाई के अंतर्गत प्रोत्साहित और लाभान्वित युवाओं की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा स्वीकृत निनिधयों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है जिसके लिए यह योजना शुरू की गई थी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और

प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री

(डॉ. हर्ष वर्धन)

(क) सरकार के पास पहले से ही विद्यार्थियों को देश की विभिन्न संस्थाओं में विज्ञान का अध्ययन करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इन्सपार्यड रिसर्च-स्कॉलरशिप फॉर हाइयर एजुकेशन (इंस्पायर -शी) और किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना (केवीपीवाई) और जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रम जैसी आकर्षक छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यशील हैं। ये योजनाएं छात्राओं और छात्रों दोनों के लिए सुलभ है। इंस्पायर-शी के अंतर्गत प्राकृतिक और बुनियादी विज्ञान में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तीय शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रति वर्ष 60,000 रू. और किसी परामर्शदाता के तहत अनुसंधान कार्य करने के लिए प्रतिवर्ष 20,000 रूपए की दर से प्रति वर्ष 12,000 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। शी योजना के तहत 60 प्रतिशत लाभार्थी छात्राएं हैं। केवीपीवाई कार्यक्रम के तहत स्नातक तक प्रति वर्ष 60,000रू. की दर से स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 84,000 रूपएं छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। डीबीटी की स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रम के तहत एमएससी जैव प्रौद्योगिकी (सामान्य) के लिए प्रति माह 5000 रू., एमएससी (कृषि जैव प्रौद्योगिकी) के लिए प्रतिमाह 7500 रूपए और एमटेक पाठ्यक्रमों के लिए प्रति माह 12000 रू. दिए जाते हैं।

(ख) जी, हाँ । केवीपीवाई कार्यक्रम वर्ष 1999 में आरंभ हुआ, और विगत 20 वर्षो से सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम देशभर में छात्राओं और छात्रों दोनों के लिए सुलभ है। इसका उद्देश्य आपवादिक रूप से प्रेरित विद्यार्थियों को आकर्षित करना और उन्हें विज्ञान में अनुसंधान करियर बनाने हेतु तैयार करना है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य प्रतिभा एवं अनुसंधान योग्यता वाले विद्यार्थियों को अभिज्ञात करना, उन्हें अपने अध्ययनों में अपनी क्षमता कोचरितार्थ करने में सहायता करना, विज्ञान में अनुसंधान करियर बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना और इस तरह, देश के अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) तंत्र के लिए उत्तम वैज्ञानिक प्रतिभा को प्रशिक्षित करना है। केवीपीवाई शोधार्थी बीएससी/बीएस/बीस्टेट/बी. मेथ/आईएनटी.एम.एससी/आईएनटीएम.एस जैसे बुनियादी विज्ञान पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने की दृष्टि से भारत में अपनी पसंद की किसी संस्था में कार्य कर सकते है। इसके अतिरिक्त, केवीपीवाई शोधार्थी को भारतीय विज्ञान संस्थान, आईआईएसईआर और अन्य विख्यात संस्थाओं में स्नातक पूर्व कार्यक्रमों में दाखिला लेने में भी अधिमान दिया जाता है। इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, केवीपीवाई के अंतर्गत प्रति वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान (विज्ञोसी) शिविर आयोजित किया जाता है जिसमें भारत और विदेश के विख्यात वक्ताओं को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता है और विद्यार्थियों को विश्व विख्यात वैज्ञानिकों/नोबेल पुरस्कार विजेताओं के साथ परस्पर चर्चा करने एवं अपने ज्ञान को समृद्व बनाने का अवसर

मिलता है। ग्रीष्मकाल के दौरान, केवीपीवाई शोधार्थियों को भारत स्थित किसी प्रयोगशालों में अनुसंधान कार्य संचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(ग)विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विगत तीन वर्षो के दौरान केवीपीवाई के अंतर्गत प्रोत्साहित एवं लाभान्वित युवाओं की संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस योजना के तहत स्वीकृत निधियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

वर्ष	स्वीकृत बजट (करोड रू. में)
2016-17	6.75
2017-18	7.42
2018-19	8.11

(ड.) और (च) : जी, हाँ । इस कार्यक्रम के उद्देश्य अनुसंधान की प्रतिभा एवं योग्यता वाले विद्यार्थियों को अभिज्ञात करना और उनकी स्नातक एवं निष्णात स्तरीय शिक्षा के दौरान उन्हें प्रशिक्षित करना थे । वर्ष 1999 में केवीपीवाई कार्यक्रम की शुरूआत से लेकर अब तक इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों के दाखिले में वर्ष 1999 में 79 से काफी बढ़कर वर्ष 2018 में 2806 हो गया है। विज्ञान में करियर बनाने के इच्छुक विद्यार्थी भारत में उच्च श्रेणी वाले महाविद्यालयों में अध्ययन करने की दृष्टि से बड़ी संख्या में उत्कृष्ट अवसर प्राप्त कर रहे है। वे अनुसंधान परियोजनाओं में कार्य करने का उत्कृष्ट अवसर प्राप्त करते हैं और विज्ञोसी शिविर के माध्यम से उच्च स्तरीय विज्ञान विशेषज्ञों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। केवीपीवाई छात्रवृत्ति शोध उत्कृष्टता का एक मानक बन गया है तथा जबर्दस्त ख्याति प्राप्त की है।

अनुलग्नक

क्रम सं.	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	2016	2017	2018	कुल
राज्य					
1.	आंध्र प्रदेश	118	109	115	342
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0
3.	असम	2	6	8	16
4.	बिहार	52	44	56	152
5.	छत्तीसगढ+	32	0	18	50
6.	गोवा	5	0	3	8
7.	गुजरात	109	120	104	333
8.	हरियाणा	142	195	204	541
9.	जम्मू और कश्मीर	2	6	3	11
10.	झारखंड	57	36	37	130
11.	कर्नाटक	217	231	205	653
12.	केरल	197	156	136	489
13.	मध्य प्रदेश	159	137	107	403
14.	महाराष्ट्र	257	250	208	715
15.	मेघालय	2	0	0	2
16.	उड+ीसा	109	124	80	313
17.	पंजाब	90	21	94	205
18.	राजस्थान	294	407	301	1002
19.	तमिलनाडू	113	128	116	357
20.	तेलंगाना	139	175	176	490
21.	त्रिपूरा	7	3	11	21
22.	उत्तर प्रदेश	208	120	125	453
23.	उत्तराखंड	13	7	10	30
24.	पश्चिम बगांल	261	243	231	735
25.	हिमाचल प्रदेश	3	0	2	5
संघ राज्य क्षेत्र					
1.	दादर नागर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)	0	0	3	3
2.	चण्डीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	23	165	18	206
3.	दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	157	195	192	544
4.	पुडुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	5	0	6	11
5.	छत्तीसगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	32	0	18	50